

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29112022-240627 CG-DL-E-29112022-240627

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5284] No. 5284] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 28, 2022/अग्रहायण 7, 1944 NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 28, 2022/AGRAHAYANA 7, 1944

> रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2022

का.आ. 5514(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उपधारा (1) के अधीन जारी और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप—खण्ड (ii), तारीख 10 अगस्त, 2022 में प्रकाशित, भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 3745 (अ), तारीख 08 अगस्त, 2022 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है), द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, उत्तर प्रदेश राज्य के गौतमबुद्धनगर जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर के निष्पादन, रख—रखाव, प्रबंध और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उपधारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों अर्थात्, ''अमर उजाला'' और ''दैनिक जागरण'' में तारीख 19 अगस्त, 2022 को प्रकाशित किया गया था;

और, विहित अविध में सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में प्राप्त आक्षेपों के नियामनुसार निस्तारण के उपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित कर दिये गये है;

और, उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और यह कि केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

7892 GI/2022 (1)

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के **गौतमबुद्धनगर** जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात् ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेंट कोरीडोर के लिए संरचना सिंहत या संरचना रहित अर्जित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

जिला- गौतमबुद्धनगर

क्र. सं.	तहसील का नाम	ग्राम	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे0में)	भू—स्वामियों / धारकों के नाम
1	सदर	चीरसी	निजी	कृषि	391	0.0200	ब्रहमानन्द, दयानन्द पुत्रगण रामजीलाल नि. ग्राम
2			निजी	कृषि	399	0.0025	नानकचन्द पुत्र बाबूराम नि. ग्राम।

[फा. सं. 2022 / एलएमएल—II / 12 / 2 / ईसी / 2360] पंकज त्यागी, कार्यकारी निदेशक (भू. एवं सू.)

MINISTRY OF RAILWAYS (RAILWAY BOARD) NOTIFICATION

New Delhi, the 25th November, 2022

S.O. 5514(E).— Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O. 3745 (E), dated the 8th August, 2022, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 10th August, 2022 (hereinafter referred to as the said notification) and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Gautam Budh Nagar in the State of Uttar Pradesh;

And whereas, the substance of the said notification was published in daily newspapers namely, "Amar Ujala" and "Dainik Jagran" dated the 19th August, 2022 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, objections received in the office of Competent Authority in prescribed period have been addressed by the competent Authority as per rules and accordingly orders have been passed;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Gautam Budh Nagar in the State of Uttar Pradesh.

DISTRICT: GAUTAM BUDH NAGAR

Sr.	Name	Name	Type	Nature of	Plot	Area	Name of Owners/Holders
No.	of	of	of	Land	No.	(in	
	Tehsil	Village	Land			hect.)	
1	Sadar	Chirshi	Private	Agriculture	391	0.0200	Brhamanand, Dayanand s/o Ramjilal R/o Village.
2			Private	Agriculture	399	0.0025	Nanak Chand s/o Baburam R/o Village.

[F. No. 2022/LML-II/12/2/EC/2360] PANKAJ TYAGI, Executive Director (L & A)